


झारखण्ड सरकार  
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग



संकल्प

विषय :- झारखण्ड राज्य में निवासरत आदिम जनजाति समुदायों के सदस्यों को आरक्षण की विशेष सुविधा।

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 एवं अन्य अनुषंगी संकल्पों के अनुसार राज्य के सभी प्रकार के राज्यस्तरीय स्थापनाओं में आरक्षण की व्यवस्था निम्नवत की गई है :-

(क)	अनुसूचित जाति	-	10 प्रतिशत
(ख)	अनुसूचित जनजाति	-	26 प्रतिशत
(ग)	अन्य पिछड़ा वर्ग(अनु-01)	-	8 प्रतिशत
(घ)	पिछड़ा वर्ग(अनु-02)	-	6 प्रतिशत

2. संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 (अद्यतन संशोधन) के अनुसार झारखण्ड राज्य के लिए अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध 32 जनजातीय समुदायों में से असुर, बिरहोर, बिरजिया, कोरवा, सावर (हिल खड़िया सहित), माल पहाड़िया, परहैया एवं सौरिया पहाड़िया की पहचान आदिम जनजाति (Primitive Tribal Group) के रूप में की गई है। ये जनजातियाँ अन्य अनुसूचित जनजातियों की तुलना में सुदूर ग्रामों, घने जंगलों, उँचे पहाड़ इत्यादि दुर्गम स्थानों पर निवास करते हैं। ये अपनी जीविका के लिए वनाखेट, झूमकृषि एवं खाद्य संग्रहण इत्यादि पर निर्भर हैं। वनों पर बढ़ते हुए दबाव एवं उनके संरक्षण की आवश्यकता तथा न्यून साक्षरता दर के कारण इनकी स्थिति में विशेष परिवर्तन नहीं दीख रहा है।

3. वर्ष 2011 की जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार झारखण्ड राज्य में आदिम जनजातियों की संख्या 2,92,359 है जो राज्य में अनुसूचित जनजाति की कुल आबादी का 3.38 प्रतिशत रही है। उस वर्ष अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर 47.44 प्रतिशत की तुलना में इनकी साक्षरता मात्र 30.94 प्रतिशत रही है।

आदिम जनजातियों के शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों को सामान्य प्रक्रिया में छूट देकर तृतीय/चतुर्थ वर्गीय पदों पर सीधी नियुक्ति की व्यवस्था करने सम्बन्धी कल्याण विभाग द्वारा लिये गये निर्णय के बावजूद इनकी स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं पाया गया।

अप परीक्षा निर्मात्र

Ans  
12/7/16

50 exam  
12/7

34/513  
12/07/16

187/20  
12/7/16


अक्षय  
12/7

13/7

4. सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है, कि :-
- (I) संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत आदिम जनजातियों को न्यूनतम 2 प्रतिशत पद उपलब्ध कराया जाय, जो अनुसूचित जनजाति के लिए चिन्हित पद में से विनियमित होगा। यह आरक्षण क्षैतिज रूप से उपलब्ध होगा।
  - (II) ये पद आदिम जनजातियों के वैसे अभ्यर्थियों से भरे जायेंगे, जो न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करते हों। मेधा सूची में यदि अनुमान्य आदिम जनजाति के सदस्य स्वतः आ जाते हैं तो आदिम जनजाति के लिए अलग से अभ्यर्थी के चयन की अपेक्षा नहीं होगी, किन्तु यदि आदिम जनजाति के सदस्य अनुसूचित जनजाति की मेधा सूची में नहीं आते, तो उन्हें मेधा क्रमानुसार 2 प्रतिशत पद उपलब्ध करा दिये जायेंगे। न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करनेवाले आदिम जनजाति के अभ्यर्थियों के अभाव में से ये पद रिक्त नहीं रहेंगे अपितु अनुसूचित जनजाति के अन्य योग्य उम्मीदवारों से भरे जायेंगे अर्थात् कोई बैकलॉग नहीं होगा।
  - (III) यह व्यवस्था राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय सभी पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में रहेगी।
  - (IV) यह व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 15(4) के अधीन राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय विनिर्दिष्ट शिक्षण संस्थानों में नामांकन में भी उपलब्ध होगी।
  - (V) इन आदिम जनजातियों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के अवसरों की संख्या तथा प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो अनुसूचित जनजाति को अनुमान्य है।

**आदेश:-** आदेश है कि सर्व साधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, झारखण्ड/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,


  
(एन०एन० पाण्डेय) 28.6.16

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक-14/जा0नि0-03-04/2016 का० 5555/राँची,

दिनांक 28.06.2016

प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को ई-गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।


  
सरकार के अपर मुख्य सचिव 116

ज्ञापांक-14/जा0नि0-03-04/2016 का० 5555/राँची,

दिनांक 28.06.2016

प्रतिलिपि- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची/झारखण्ड संयुक्त प्रवेश परीक्षा पर्वद, राँची/सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, राँची/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/सचिव, झारखण्ड विधानसभा/सभी विश्वविद्यालय के कुलपति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीनस्थ सभी स्थानीय निगमों/निगमों/लोक सेवा उपक्रमों/पर्वदों को अविलम्ब सूचना करा दें।

  
सरकार के अपर मुख्य सचिव 116